सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 418/17 **निर्णय दिनांकः— 23.04.2018**

1. मोहनदास पुत्र ईशरदास जाति साध निवासी चक 8 सी एम नाडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. मीरां पत्नी हीरदास जाति साध निवासी चक 8 सी एम नाडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जगदीश पुत्र शंकरलाल जाति सोनार निवासी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 09—11—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुनील देवड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 09—11—2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट के मुरब्बे की भूमि गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के धारण में खातेदारी भूमि तहसील पूगल के चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/56 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 कुल 8.6 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 6/64 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 में 3.13 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 4 ता 7, 15 में 5 बीघा इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 16.19 बीघा भूमि खातेदारी रही है। उक्त भूमि बाद में दिनांक 16—03—1998 को सड़क में एवं वन विभाग में अवाप्त हो गई जिसका अपीलांट को आज दिनांक तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है ना ही कमीपूर्ति में उक्त मुरब्बें में शेष रही भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत् स्मालपेच/मिडियम पेच का कई वर्षो से जैरकार है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की भूमि आवप्ति के बाद तत्कालीन उपनिवेशन विभाग में अपीलांट के उक्त मुरब्बें में शेष खाली पड़ी भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 30—07—2012 एवं दिनांक 03—06—2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जो कि आज दिनांक तक जैरकार/पैण्डिग है। इस दरमियान उक्त क्षेत्र उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में अन्तरित होन जाने के कारण अपीलांट की अवाप्तशुदा भूमि की एवज में कमीपूर्ति के रूप में भूमि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबे की शेष भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकारी अपीलांट है। उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बतौर भूमिहीन किया गया है। जबकि उक्त भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये, अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैंडिग रहते हुए गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को

उपरोक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा तौर भूमिहीन के तहत पूर्व में आंवटित रकबा अन्य को आवंटनशुदा होने के कारण अन्य भूमि बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की जानी थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही मिडियम पेच के आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है जो विधि एवं आवंटन नियमों के विरूद्व है। आवंटन नियमों के स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मिडियम पेच अथवा स्माल पेच के आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का आवंटन भूमिहीन के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदित भूमि अन्यत्र आवंटन को आवंटन होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से विकल्प में उपरोक्त रकबा गैर कानूनी रूप से आवंटित किया गया जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्व आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी उक्त आराजी के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार का कोई आवेदन तो पैंडिंग नहीं है। उक्त रकबे हेतु अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती है। अदालत मातहत द्वारा जानबूझ कर नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विकल्प में उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

आराजी जैर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहुॅचाने की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 551 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि उसे वर्ष 204 में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा भूमिहीन श्रेणी में चक 38 डीओडीडी(आर) के मुरब्बा नम्बर 59/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। चूंकि उक्त भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के बदले दिनांक 23—02—2004 को चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 180/11 की 20 बीघा भूमि पुनः आवंटित की गई। उक्त भूमि भी पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06—07—2017 को अपील स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के बदले अन्य भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जरिये लॉटरी वादगत् भूमि चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/64 के किला नम्बर 8, 12, 14, 16, 17, 19, 22/0.13 की 6.13 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9, 13, 18, 23/0.13, 24/0.13, 25/0.12 की 7.18 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 6/56 के किला नम्बर 1 ता 3, 5, 8, 13, 18, 22/0.13 की 7.13 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 9 ता 12, 19, 20, 21/0.13, 23/0.12 की 7.05 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 29.09 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को विकल्प में भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया कि उक्त भूमि रिकार्ड में रकबाराज दर्ज व निर्विवाद रूप से उपलब्ध है व इस आराजी हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन नियमों व प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना साबित है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि मिडियम पेच अथवा स्मालपेच आवंटन हेतु रिजर्व नहीं थी। चूंकि वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन बतौर भूमिहीन के तहत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अपरिहार्य नहीं था। प्रार्थी वर्ष 2004 से भूमि आवंटन हेतु घूम रहा है। अपीलांट का आराजी जैर से

कोई सरोकार नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन सही व विधि अनुसार किया गया आवंटन है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(अ)** हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी में चक 38 डीओडीडी(आर) के मुरब्बा नम्बर 59/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। चूंकि उक्त भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के बदले दिनांक 23—02—2004 को चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 180/11 की 20 बीघा भूमि पुनः आवंटित की गई। उक्त भूमि भी पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06—07—2017 को अपील स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के बदले अन्य भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जरिये लॉटरी वादगत् भूमि चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/64 के किला नम्बर 8, 12, 14, 16, 17, 19, 22/0.13 की 6.13 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9, 13, 18, 23/0.13, 24/0.13, 25/0.12 की 7.18 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 6/56 के किला नम्बर 1 ता 3, 5, 8, 13, 18, 22/0.13 की 7.13 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 9 ता 12, 19, 20, 21/0.13, 23/0.12 की 7.05 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 29.09 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उसके धारण की भूमि जोकि सड़क निर्माण व वन विभाग में आने के कारण अवाप्त की गई

थी उसकी एवज में उसी के मुरब्बे में निहित वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेशन नियमों के तहत राजकीय भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) के अधीन प्रार्थना पत्र समय–समय पर प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा उसकी अवाप्तशुदा भूमि की एवज में उसी मुरब्बें में रकबाराज भूमि के मिडियम पेच आवंटन किये जाने की इस्तदुआ की गई है। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर अंकित है। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत कर रखा था।

(स) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी के आवंटन हेतु पूर्व में ही अपीलांट द्वारा मिडियम पेच में आवेदन प्रस्तुत कर रखा था। जबकि आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट का आवेदन लम्बित चल रहा था तो ऐसी स्थिति मे आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्याय संगत है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अदालत हाजा के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

(द) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को ऐसे मुरब्बे का आवंटन किया जाना चाहिए था जिसमें समस्त भूमि एक ही मुरब्बे में निहित होती। **अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन अयुक्तियुक्त रूप से अलग–अलग मुरब्बें में भूमि का आवंटन किया गया है, जो किसी भी स्थिति में तर्कसंगत आवंटन की परिभाषा में नहीं आता है।** अतः अदालत मातहत का आदेश काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है।

(य) अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि आवंटन जरिये लॉटरी किया जाना उचित है। लेकिन उक्त आवंटन हेतु लॉटरी किस तारीख को निकाली गई, आवंटन से पूर्व

आवंटन सलाहकार समिति की राय प्राप्त की गई अथवा नहीं? इस बाबत् अपने आदेश में किया किसी प्रकार का अंकन नहीं है। केवल मात्र न्यायालय हाजा के निर्णय की आड़ में आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाना साबित है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—11—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर